स्वच्छ विकास एंव जलवायु पर एशिया-प्रशांत साझीदारी घोषणापत्र

स्वीकृत, मंत्री स्तरीय उद्घाटन बैठक, सिडनी, 11-13 जनवरी 2006
संशोधित, मंत्री स्तरीय दूसरी बैठक, नई दिल्ली, 14-15 अक्तूबर 2007

हम ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका (संयुक्त रूप से 'साझीदार' नाम से उल्लिखित) की केंद्रीय सरकारों के प्रतिनिधि सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में 12 जनवरी, 2006 को बैठक कर रहे हैं:

स्वच्छ विकास एवं जलवायु पर एक नई एशिया-प्रशांत साझीदारी के 28 जुलाई, 2005 (परिशिष्ठ I) के विज़न वक्तव्य से, जो इस घोषणापत्र का अनिवार्य हिस्सा है, निर्देशित होते हुए;

यह ध्यान रखते हुए कि इस साझीदारी के उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के संरचना सम्मेलन के सिद्धांतों और दूसरे अंतरराष्ट्रीय प्रावधानों के अनुकूल हैं तथा क्योटो संधि के स्थान पर नहीं, बल्कि उसके पूरक रूप में अभिप्रेरित हैं;

स्वच्छ विकास एवं जलवायु पर एशिया प्रशांत साझीदारी ('साझीदारी' के नाम से उल्लिखित) की स्थापना का निर्णय करते हैं। और इस साझीदारी की वैधानिक रूप से अबाध्यकारी घोषणापत्र का ऐलान करते हैं। यह साझीदारी हमारे विकास, ऊर्जा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित उद्द्श्यों को हासिल करने के लिए सदस्य देशों के बीच त्वरित, सकारात्मक और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के ढांचे के रूप में काम करेगी।

1. साझा दृष्टि

1.1 साझीदार देश स्वच्छ विकास और जलवायु संबंधी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक रूप से साथ आए हैं। ये मानते हैं कि गरीबी उन्मूलन और विकास सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य हैं। वर्तमान द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय कोशिशों के आधार पर एक नई पहल के जरिये साझीदार देश अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को हासिल करने एवं उससे जुड़ी चुनौतियों का, जिनमें वायु प्रदूषण, ऊर्जा सुरक्षा और ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा शामिल हैं, सामना करने के लिए आपस में सहयोग बढ़ाएंगे। साझीदार देश मानते हैं कि उनके इस साझा सपने को पूरा करने में राष्ट्रीय प्रयास महत्वपूर्ण साबित होंगे।

2. उद्देश्य

2.1 इस साझीदारी के उद्देश्य हैं:

2.1.1 अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक स्वैच्छिक और वैधानिक रूप से अबाध्यकारी ढांचा खड़ा करना, जो वर्तमान, उभर रही और लंबी अवधि में सस्ती, स्वच्छ एवं अधिक प्रभावशाली तकनीकों व प्रयोगों के विकास, प्रसार और हस्तांतरण को सरल बनाने के लिए साझीदार देशों के बीच पुख्ता सहयोग को संभव बनाए, ताकि व्यावहारिक नतीजे निकलें;

2.1.2 इस तरह की कोशिशों में मददगार माहौल का निर्माण एवं उसे प्रोत्साहित करना;

2.1.3 हमारे अपने राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित उद्देश्यों को सुसाध्य बनाना; और

2.1.4 साझीदार देशों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना, जहां वे विकास, ऊर्जा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के अंतर्संबंधों के मद्देनजर स्वच्छ विकास के लक्ष्य की उपयुक्त नीतियों की खोज करें एवं अपने-अपने देशों में विकास और ऊर्जा संबंधी राष्ट्रीय नीतियों के अनुभवों का आदान प्रदान करें।

3. कार्य

3.1 इस साझीदारी के जरिये साझीदार सहयोग करेंगे:

3.1.1 साझीदार देशों के विकास, ऊर्जा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जैसे अंतर्संबंधित मसलों पर स्वच्छ विकास के संदर्भ में बनाई गई उनकी अपनी-अपनी नीतियों (अंतर और ओवरलैपिंग समेत) और द्विपक्षीय महत्व के अन्य क्षेत्रों से संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे;

3.1.2 ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ विकास योजनाओं एवं प्रयोगों से संबंधित अनुभवों तथा सूचनाओं को साझा करेंगे;

3.1.3 साझीदार देशों की प्राथमिकता के मुताबिक वर्तमान, उभरती हुई और लंबी अवधि में सस्ती, स्वच्छ, अधिक प्रभावकारी एवं परिवर्तनकारी टेक्नोलॉजिओं व प्रयोगों के विकास, विस्तार और हस्तांतरण के लायक माहौल तैयार करने, उसे बढ़ावा देने एवं

उसके रास्ते की बाधाओं को पहचानने एवं दूर करने के प्रयास करेंगे;

3.1.4 साझीदारों की प्राथमिकता के मुताबिक वर्तमान, उभरती हुई और लंबी अवधि में सस्ती, स्वच्छ, अधिक प्रभावकारी एवं परिवर्तनकारी टेक्नोलॉजिओं के विकास, विस्तार और हस्तांतरण के लिए साझीदार देशों के बीच द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग के तरीकों की पहचान करेंगे तथा उन्हें लागू करेंगे;

3.1.5 संबंधित साझीदारों की जलवायु संबंधी तकनीकों पर सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे, तथा मौजूदा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय प्रयोगों के बीच गठजोड़ को प्रोत्साहित करेंगे;

3.1.6 इन सहयोगी प्रयासों को मजबूत करने वाली कवायदों में समुचित मानवीय एवं सांस्थानिक सामर्थ्य बढ़ाने वाले तत्वों का समावेश करेंगे;

3.1.7 साझीदारी की सहयोगी गतिविधियों में अनिवार्य रूप से निजी क्षेत्र की सेवा ली
जाएगी। साथ ही विकास बैंकों, शोध संस्थानों एवं अन्य उपयुक्त सरकारी, अंतर-सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों की मदद लेंगे;

3.1.8 साझीदारों द्वारा तय विकास एवं कार्यान्वयन कार्यक्रमों को लागू करेंगे; और

3.1.9 इस साझीदारी की प्रभावकारिता को सुनिश्चत करने के लिए इसका लगातार मूल्यांकन करेंगे।

3.2 विभिन्न कानूनों, अधिनियमों और नीतियों के तहत एक अंतरराष्ट्रीय उपकरण के रूप में लागू इस घोषणापत्र में अपेक्षित क्रियाकलापों का दायित्व प्रत्येक साझीदार देश पर होगा;

4 संगठन

4.1 इस साझीदारी को असरदार तरीके से आगे बढ़ाने के लिहाज से एक नीति एवं कार्यान्वयन समिति और एक प्रशासनिक सहायता समूह का गठन किया जाएगा;

4.2 नीति एवं कार्यान्वयन समिति इस साझीदारी की प्रक्रिया, इसकी नीतियों एवं समस्त ढांचे को नियंत्रित करेगी। यह समिति समय-समय पर साझीदारों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेगी और प्रशासनिक सहायता समूह को दिशा-निर्देश देगी। समिति के पास इस साझीदारी की सहयोगी गतिविधियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी और

इसके ऊपर निजी क्षेत्रों, विकास बैंकों, शोध संस्थानों तथा अन्य संबंधित सरकारी, अंतर-सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों की सेवा तय करने का दायित्व होगा। समिति राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विकास के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए साझीदार देशों की कोशिशों को बढ़ावा देगी और उनके यहां इसके लायक वातावरण तैयार करने की जिम्मेदारी भी संभालेगी। इसके लिए नीति एवं कार्यान्वयन समिति उपयुक्त कार्य दस्तों का भी गठन कर सकती है। समिति के सदस्यों को जब कभी भी महसूस हो कि अपने कार्यों के बेहतर निष्पादन के लिए बैठक आवश्यक है, नीति एवं कार्यान्वयन समिति बैठक कर सकती है और उस बैठक का एजेंडा वह नीतिगत विषयों या तकनीकी विषयों या दोनों पर केंद्रित कर सकती है। नीति एवं कार्यान्वयन समिति के फैसले सदस्यों देशों की सर्वसम्मति से तय होंगे।

4.3 प्रशासनिक सहायता समूह इस साझीदारी के संचार एवं अन्य गतिविधियों का प्रधान समन्वयकर्ता है, और उसकी जिम्मेदारी होगी: (१) साझीदारी की बैठकों के आयोजन की; (२) टेली कॉन्फ्रेंसिंग एवं कार्यशाला जैसी विशेष गतिविधियों के प्रबंध की; (३) साझीदारी से संबंधित सूचनाओं के समन्वय एवं आदान-प्रदान की; (४) साझीदारी से संबंधित सूचनाओं के वितरण केंद्र के रूप में कार्य की; (५) नीति एवं कार्यान्वयन समिति द्वारा निर्धारित मुख्य कार्यों की प्रक्रिया एवं जिम्मेदारियों के निर्वहन की; और (६) नीति एवं कार्यान्वयन समिति द्वारा निर्देशित अन्य कार्यों को पूरा करने की। प्रशासनिक सहायता समूह का काम प्रशासनिक होगा और नीति एवं कार्यान्वयन समिति द्वारा विशेष तौर पर निर्देशित विषयों के अतिरिक्त कोई अन्य विषय इसके अधीन शामिल नहीं होगा।

4.4 नीति एवं कार्यान्वयन समिति साझीदार देशों के प्रतिनिधियों से बनती है। और परिशिष्ट II में शामिल प्रत्येक साझीदार देश नीति एवं कार्यान्वयन समिति की बैठकों के लिए अपने तीन-तीन प्रतिनिधि मनोनीत कर सकते हैं।

4.5 नीति एवं कार्यान्वयन समिति को यह विशेषाधिकार है कि वह अन्य विशेषज्ञों को बैठक में शरीक होने की इजाजत दे।

4.6 शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार इस साझीदारी के प्रशासनिक सहायता समूह के रूप में कार्य करेगी। दो वर्ष के अंतराल पर इस व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी और नीति एवं कार्यान्वयन समिति के फैसले के मुताबिक यह बदली भी जा

सकती है। प्रत्येक साझीदार देश प्रशासनिक सहायता समूह में अपना एक प्रशासनिक संपर्क सूत्र मनोनीत करेगा।

4.7 यदि जरूरी हुआ, तो प्रशासनिक सहायता समूह साझीदार देशों द्वारा नियुक्त कर्मियों की सेवा ले सकता है और प्रशासनिक सहायता समूह को उनकी सेवाएं मुहैया करा सकता है। जब तक साझेदार कोई अन्य निर्णय नहीं लेते, तब तक उन कर्मियों के पारिश्रमिक का भुगतान उनके संबंधित नियोक्ता साझीदार करेंगे एवं उनकी सेवाएं नियोक्ता की सेवा शर्तों से संचालित होंगी।

4.8 प्रत्येक देश साझीदारी की गतिविधियों में अपनी साझीदारी का स्वरूप खुद तय करेगा।

5 कोष

5.1 इस साझीदारी में साझीदारी स्वैच्छिक है। यह प्रत्येक साझीदार देश के विवेक पर है कि वह इस साझीदारी को कितना धन, कर्मचारी व अन्य संसाधन मुहैया कराए। और जब तक दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक इस घोषणापत्र में अपेक्षित कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय का भार वह साझीदार देश वहन करेगा, जो उसका दायित्व उठाता है।

6 बौद्धिक संपदा

6.1 बौद्धिक संपदा से संबंधित सभी मामलों और साझीदारी के क्रिया-कलापों से उत्पन्न विवेचनाओं पर इस साझीदारी के उद्देश्यों को नजर में रखते हुए मामला-दर-मामला विचार किया जाएगा।

7 संशोधन

7.1 नीति एवं कार्यान्वयन समिति इस घोषणापत्र और इसके परिशिष्ट II में सदस्यों की सर्वसम्मति से कभी भी संशोधन कर सकती है।

8 घोषणापत्र की समय सीमा

8.1 इस घोषणापत्र के तहत यह साझीदारी 12 जनवरी, 2006 से शुरू होगी। कोई भी साझीदार देश अपनी प्रत्याशित सदस्यता समाप्ति से ९० दिनों पूर्व लिखित सूचना देकर अपनी सदस्यता खत्म कर सकता है।

परिशिष्ट I

स्वच्छ विकास एवं जलवायु पर नई एशिया-प्रशांत साझीदारी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया गणराज्य, जापान, भारत, चीन और ऑस्ट्रेलिया का विजन स्टेटमेंट।

२८ जुलाई २००५

गरीबी अन्मूलन और विकास बेहद जरूरी व महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य हैं। टिकाऊ विकास के मसले पर विश्व सम्मेलन ने वहन करने योग्य, विश्वसनीय और स्वच्छ ऊर्जा

के विस्तार तक पहुंच बनाने की जरूरत को साफ कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ विकास पर दिल्ली घोषणापत्र में जलवायु परिवर्तन के हर उपाय के मद्देनजर विकास कार्यसूची के महत्व पर अपनी सहमति दे दी है।

हममें से प्रत्येक के पास कई तरह के प्राकृतिक संसाधन, टिकाऊ विकास और ऊर्जा योजनाएं हैं, बल्कि हम पहले से ही साथ-साथ काम कर रहे हैं और साझा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे भी काम करेंगे। हम मौजूदा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय कोशिशों के आधार पर इस संस्था के जरिये अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों एवं वायु प्रदूषण, ऊर्जा सुरक्षा और ग्रीन हाउस गैसों की सघनता जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग बढ़ाएंगे।

हम अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के तहत स्वच्छ और अधिक प्रभावकारी तकनीक के विकास, प्रसार एवं हस्तांतरण के उद्देश्य से मिलकर काम करेंगे तथा प्रदूषण में कमी लाने के राष्ट्रीय लक्ष्य, ऊर्जा सुरक्षा एवं जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चिंताओं के समाधान हेतु जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के संरचना सम्मेलन के सिद्धांतों (यूएनएफसीसीसी) के भीतर एक नई साझीदारी के लिए सामूहिक प्रयास करेंगे।

साझीदारी वर्तमान और उभरती हुई, सस्ती, स्वच्छ तकनीकों एवं प्रयोगों के विकास, प्रसार और हस्तांतरण के लायक उचित माहौल बनाने एवं उसे प्रोत्साहित करने के लिए मिलकर काम करेगी, ताकि इन ठोस प्रयासों के व्यावहारिक परिणाम हासिल किए जा सकें। सहयोग के क्षेत्रों में ये क्षेत्र शामिल (लेकिन इन्हीं तकसीमित नहीं) किए जा सकते हैं : ऊर्जा क्षमता, साफ कोयला, समेकित गैसीकरण सह चक्र, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, कार्बन ग्रहण एवं भंडारण, मीथेन ग्रहण एवं प्रयोग, असैन्य परमाणु ऊर्जा, भूतापीय, ग्रामीण ऊर्जा व्यवस्था, अत्याधुनिक परिवहन, भवन एवं गृह निर्माण व प्रक्रिया, जैविक ऊर्जा, कृषि एवं वनखंड, पनबिजली, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा और नवीनीकरण योग्य अन्य क्षेत्र।

यह साझीदारी दीर्घकाल में रूपांतरित होने वाली ऊर्जा तकनीकों के विकास, विस्तार, प्रसार और हस्तांतरण के लिए भी काम करेगी, जो ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में महत्वपूर्ण कमी के योग्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। मध्य से लंबी अवधि तक के सहयोग में इन क्षेत्रों को शामिल (लेकिन इन्हीं तकसीमित नहीं) किया जा सकता है : हाइड्रोजन, नैनो टेक्नोलॉजी, विकसित जैव प्रौद्योगिकी, अगले चरण के परमाणु विखंडन और विलयन ऊर्जा।

यह साझीदारी सदस्य देशों के टिकाऊ राष्ट्रीय विकास और ऊर्जा योजनाओं के परिवर्धन व क्रियान्वयन के अनुभवों को आपस में बांटेगी तथा साझीदारों की अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कम करने के लिए अवसर तलाशेगी।

हम एक अबाध्यकारी समझौता करेंगे, जिसमें इस साझा दृष्टिकोण के सभी तत्वों के साथ इसके लागू करने के रास्तों एवं उद्देश्यों का विश्लेषण किया जाएगा। हम उस साझीदारी के लिए एक ढांचा गढ़ेंगे, जिसमें सांस्थानिक और वित्तीय व्यवस्थाओं के साथ-साथ समान हित और विचार वाले दूसरे देशों को शामिल किए जाने के रास्ते होंगे।

यह साझीदारी सामूहिक प्रयासों को मजबूत करने के लिए मानवीय एवं सांस्थानिक क्षमताओं को बढ़ाने में सदस्य देशों की मदद करेगी और इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी के अवसर तलाशेगी। हम साझीदारी की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उसकी नियमित समीक्षा भी करेंगे।

साझेदारी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के संरचना सम्मेलन के अनुरूप होगी, और हमारी कोशिशें उसकी सहायता करेंगी। साझीदारी क्योटो संधि की मददगार के रूप में होगी, न कि उसकी स्थानापन्न।

परिशिष्ट II

ऑस्ट्रेलिया
कनाडा
चीन
भारत
जापान
कोरिया गणराज्य
संयुक्त राज्य अमेरिका